नाजायज कब्जा और खियानत

संपादक- मौलाना जलील अहसन नदवी रह.

नाजायज कब्जा (गसब)

1] रसूलुल्लाहﷺ ने फरमाया की जो शख्स किसी की एक बालिश्त जमीन भी जुल्मन ले लेगा तो अल्लाह कयामत के दिन सात ज़मीनों का तौक (गले का हार) उस्की गर्दन में डालेगा.

_रिवायत बुखारी मुस्लीम का खुलासा | अन सईद बिन जैद रदी.

2] रसूलुल्लाहﷺ ने फरमाया, सुनो जुल्म ना करो, किसी आदमी का माल जाइज़ नहीं हे मगर उस वकत जब्की माल वाला अपनी खुशी से दे. _रिवायत बैहिकी का खुलासा.

3] रसूलुल्लाहﷺ के फरमान का मतलब ये हे की "आरिया" (मांगनी) यानी जो चीझ आप किसी से मांगनी के तौर पर मांग लाए तो उसे अदा करना होगा और "मिनहा" का मतलब

दूधारी उंटनी के हे, अरब में रिवाज था की मालदार लोग अपने अजीजो, रिश्तेदारो या दोस्तो को दूध इस्तेमाल करने के लिए उंटनी देते थे. तो आपﷺ के फरमान का मतलब ये हे की दूध खाने के लिए जो जानवर किसी को दिया जाए तो जब उस्का दूध खत्म हो जाए तो जानवर असल मालिक को दे दिया जाएगा, और कर्ज़ अदा किया जाएगा, उसे हजम नहीं किया जा सकता और जो कोई शख्स किसी का जिम्मेदार हे तो उस्से वुसूल किया जाएगा.

_रिवायत तिर्मिजी का खुलासा | अन अबू उमामा रदी.

खियानत

4] खियानत करने वाले से भी खियानत करने की मुमानत : रसूलुल्लाहﷺ ने फरमाया जिस शख्स ने तुम्हे एतबार करने वाला जान कर अपनी अमानत तुम्हारे पास रखी हे उस्की अमानत वापस कर दो, और जो तुमसे खियानत करे तो तुम उस्के साथ खियानत का मामला ना करो बल्की अपने हक को वुसूल करने के लिए दूसरे जाइज़ तरीके अपनावो.

_रिवायत तिर्मिजी का खुलासा | अन अबू हुरैरा रदी.

5] कारोबार में शरीक लोग जब तक आपस में खियानत और चालबाज़ी नहीं करते तब तक अल्लाह उनकी मदद करता हे, उनपर रहमत करता हे, और उन्के कारोबार में और आपसी ताल्लुकात में बरकत करता हे. लेकिन जब उनमे से किसी की नियत बुरी हो जाती हे और खियानत करने लगता हे तब अल्लाह अपनी मदद और रहमत का हाथ खीच लेता हे, और फिर शैतान आ-जाता हे जो उन्को और उन्के कारोबार को तबाही और बरबादी की राह पर डाल देता हे.

_रिवायत अबू दाउद का खुलासा | अन अबू हुरैरा रदी.